संख्या- 96 /2018/ 1781 /चार-2018 -138(वि)/2016

प्रेषक,

डा0 वन्दना वर्मा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

सस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जुलाई, 2018

विषय- वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य ललित कला अकदमी, लखनऊ में कार्यरत लिपिक के ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008)की चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार/एवं सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2 -109/दस-54(एम)/2009टीसी दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 व 3 में उल्लिखित पदों (पदनाम/पदों की संख्या एवं वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) को तालिका के स्तम्भ 4,5 व 6 के अनुसार (पदों के पदनाम/पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/अर्हता) तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	वर्तमान ढॉचा		शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2013 के अनुसार पुनर्गठित ढॉचा		
	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कार्यालय सहायक/ (02 पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वरिष्ठ सहायक / (02 पद)	5200-20200 ग्रेड पे-2800	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
2 3	लिपिक / (01 पद) कैशियर -कम- क्लर्क (1पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक /(02 पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा । अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (डी0ओ0ई0ए0 सी0सी0) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (2) 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हो। (3) 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

2- उच्चीकृत /संशोधित ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2 -841/दस-59(एम)/2009 दिनांक 24-12-2009 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- संबंधित सेवानियमावली में उपर्युक्तानुसार यथा अपेक्षित संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-573/दस-2018 दिनांक 02 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 96 / 2018 / 1781 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (02प्रतियों में)
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरों , वित्त विभाग, सचिवालय।
7- सचिव, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकदमी, लखनऊ
8 -गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।